Gr. 1347/18

Court of S.D.J.M., Dehri, Rohtas.

(Abhishek Kumar)

25.2.20 आवेदक अभियुक्त अभिषेक कुमार वकालतनामा के साथ आत्मसमर्पण कर जमानत आवेदन दाखिल करते हैं। आवेदन की प्रति विद्वान APO को दी गई है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। आवेदन पर सुनवाई करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं किया है। [illegible] अपना जमानत आवेदन किसी परिवाद न्यायालय में दाखिल किया है। अभियुक्त को गलत तरीके से फँसाया गया है। यह कि दोनों पक्षों के बीच वाद सुलह हो गया है तथा सूचिका अभियुक्त के साथ रह रही है। अत: अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने की कृपा प्रदान की जाए।

जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498(A)/504/34 IPC एवं 3/4 D.P. Act के अन्तर्गत [illegible] हुआ है। वाद दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गया है। सुलहनामा अभिलेख पर उपलब्ध है। सूचिका न्यायालय में सदेह उपस्थित है तथा अभियुक्त के साथ रहने की बात कहती है। यह अभियुक्त की प्रथम उपस्थिति है। अत: उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त को रु० 10,000 का दो प्रतिभू के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि वह सूचिका को मान-सम्मान के साथ रखेंगे।

[signature]

S.D.J.M. H.C.